न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 99/2019
GCMS No. : 2019/00080

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. मदनलाल पुत्र धोकलराम जाति– माली, निवासी– बेरा नोकड़ा ग्राम दाकला, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.27/05/2019

उपस्थितः–

1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 26/08/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा दागला, पटवार हल्का मोहराई, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील जैतारण में वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 246/6 रकबा 15–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 की प्रमाणित फोटो प्रति दावे के साथ पेश किये जा रहे है जिसे दावे का एक भाग माना जावें। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि जरिये बैचान रजिस्ट्री खरीद की उस समय वादी का घर का बोलचाल का नाम मगताराम दर्ज करवा दिया गया था जो वादी का घर का नाम मगताराम पुत्र श्री धोकलराम जाति माली दर्ज है। जो कि एक रोन्ग एन्ट्री है वादी का नाम रिकॉर्ड में मदनलाल पुत्र धोकलराम जाति माली है। जिस बाबत् आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राजस्थान सरकार का परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटो प्रति दावे के साथ पेश की जा रही है। जिसे दावे का एक भाग माना जावें। वादी का सही नाम मदनलाल ही है। जो सभी दस्तावेजात् से स्पष्ट है [illegible]07.03.2019 को पटवारी हल्का मोहराई को नाम दुरु[illegible] पटवारी हल्का ने मना कर दिया व कहा कि एसडीएम कोर्ट से [illegible] लेकर आओं। उसके बाद वादी को श्रीमान् जी के न्यायालय में घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का वाद पेश करनें के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं होने कारण से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के कर्मचारी व अधिकारी है। इनके विरुद्ध दावा करनें से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना जरूरी होता है लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का होनें से यह वाद बिना नोटिस दिये ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पेश किया जा रहा है। न्यायालय अनुमति बाबत् धारा 80(2) सी पी सी का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया जा रहा है। बिनाय दावा दिनांक 07.03.2019 को प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधन करनें अर्थात् मगताराम पुत्र धोकलराम माली के स्थान पर मदनलाल पुत्र धोकलराम माली करनें से मना करनें पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय वस्तु स्थिति रिपोर्ट पेश की, जो सा.मि. है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। सरहद मौजा दागला, पटवार हल्का मोहराई, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील जैतारण की जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श P1 में मगताराम पुत्र धोकल बतौर सह खातेदार दर्ज है। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा प्रस्तुत PW 01- वादी मदनलाल पुत्र धोकलराम का साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम मदनलाल पुत्र धोकलराम है न की मगताराम पुत्र धोकल एक ही व्यक्ति है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेज मदन लाल पुत्र धोकल राम के नाम से है तथा जमाबन्दी में नाम मगताराम पुत्र धोकल दर्ज होनें से उसें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदर्श 2ए– वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श 3ए– वादी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 4ए– वादी का वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रदर्श 5ए– वादी का ड्राईविंग लाईसेन्स, प्रदर्श 6ए– वादी का पैन कार्ड, प्रदर्श 7ए– वादी के बैक खाता पासबुक, प्रदर्श 8ए पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाजीवास द्वारा जारी स्थान्तरण प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मदन लाल पुत्र धोकल राम है, मगताराम पुत्र धोकल एवं मदन लाल पुत्र धोकल राम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा सरहद मौजा दागला, पटवार हल्का मोहराई में मगताराम पुत्र धोकल नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तथा अतः वादी शपथ पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम मदन लाल पुत्र धोकल राम है, न कि मगताराम पुत्र धोकल, भू अभिलेख में दर्ज मगताराम पुत्र धोकल वस्तुतः त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:23 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं स[illegible]न होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा दागला, पटवार हल्का मोहराई, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 246/6 रकबा 15-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर सहखातेदार दर्ज प्रविष्टि मगताराम

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

त्र धोकल जाति माली सा0देह खातेदार में से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **"मगताराम पुत्र** **धोकल"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादी का सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **"मदन लाल पुत्र धोकल राम"** दर्ज करते हुये वादी मदन लाल पुत्र धोकल राम जाति– माली निवासी सरहद मौजा दागला, पटवार हल्का मोहराई, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील जैतारण जिला– पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कद्र वाद डिक्री किया जाता है, तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक **26/08/2021** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

राजस्व वाद संख्या : **99/2019**

GCMS No. : **2019/00080**

-:: वादी ::- बनाम **-:: प्रतिवादी ::-**

1. मदनलाल पुत्र धोकलराम जाति- माली, निवासी- बेरा नोकड़ा ग्राम दाकला, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा **मु०न० :- रा०वा० स०: 99/2019**
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा दागला, पटवार हल्का मोहराई, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 246/6 रकबा 15-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल में बतौर सहखातेदार दर्ज प्रविष्टि मगताराम पुत्र धोकल जाति माली सा0देह खातेदार में से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **"मगताराम पुत्र धोकल"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादी का सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **"मदन लाल पुत्र धोकल राम"** दर्ज करते हुये वादी मदन लाल पुत्र धोकल राम जाति- माली निवासी सरहद मौजा दागला, पटवार हल्का मोहराई, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, तहसील जैतारण जिला- पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **26/08/2021** को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:37:23 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	/
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	—

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:57:23 IST
Reason: SelfAttested